प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2014 प्र.सू.रि.स 12 दिनांक 02.05.2014

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं –

3.(क) घटना का दिन शुक्रवार दिनांक से दिनांक 5.05.2014

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 05.05.2014 समय 02.50 पी0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 10 समय 3.00 पी0एम0

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब दक्षिण – पूर्व लगभग 25/30 कि0 मी0

(ख) पता :

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) थाना सोहना, जिला गुडगांव।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– राकेश

(क) राकेश (ख) (पिता/पति का नाम) श्री कल्याण सिंह
गंव अभयपुर, गुडगांव।

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) खेतीबाडी (पता) गांव चांद हट जिला पलवल।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. मनोज कुमार इस्पैक्टर,
   खाद्य – आपूर्ति विभाग सोहना
   गुडगांव।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री जगदीश चन्द्र निरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव बदस्त एच.सि दिनेश कुमार न0 1941/फरीदाबाद, बराय कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई जिसका विषय इस प्रकार से है ''सेवा में उप महानिरीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव। श्रीमान जी, निवेदन है कि मै राकेश सपुत्र श्री कल्याण सिंह गांव अभयपुर डा0 दमदमा जिला गुडगांव का स्थाई निवासी हॅू और मै गांव सिलानी का डिपो धारक हॅू। मेरे डिपो का इंस्पैक्टर मनोज कुमार है, जो मुझे बार –

बार परेशान कर रहा है कि आप मुझे 13000/– रू दो नही तो आपके डिपो के खिलाफ इन्कवारी करके आप के खिलाफ रिपोर्ट भेज दूगां। उपरोक्त 13000/–रू इंस्पैक्टर मनोज कुमार बतौर रिश्वत मांग रहा है। मै यह रिश्वत देना नही चाहता यदि मै रिश्वत नही दूगां तो वह मेरे डिपो का लाईसैंस रद्द करवा देगा। मेरी उससे कोई आपसी रंजिश नही है और ना ही किसी प्रकार का पैसो ला लेन–देन है। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। धन्यवाद हस्ता हिन्दी राकेश प्रार्थी राकेश सपुत्र श्री कल्याण सिंह गांव अभयपुर गुडगांव, फोन न0 9812999281, कार्यवाही पुलिस :– आज मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय एस.वी.बी गुडगांव हूँ कि राकेश मुदई उपरोक्त ने एक लिखित दरखास्त मार्क शुदा डी.आई.जी साहब एस.वी.बी, गुडगांव के मार्क शुदा मन निरीक्षक को मुलाकी होकर पेश की मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर मन निरीक्षक ने एक रेडिगं पार्टी जिसमें ए.एस.आई नरेश, ए.एस.आई सुभाष 353/एच, ए.एस.आई राजबरी 4/जी. आर.पी, सि. योगेश तैयार करके मन निरीक्षक मय रेडिगं पार्टी मय मुदई मय तफतीशी बैग बा सवारी गाडी सरकारी न0 एच. आर–55 जे, 9999 चालक ए.एस.आई कृष्ण कुमार के बराये अनुमति रेड व नियुक्ति डियूटी मैजिस्ट्रट रवाना उपायुक्त कार्यालय गुडगांव का होता हूँ। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त एच.सि निदेश कुमार न0 1941/फरीदाबाद, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव के भेजी जा रही है। बाद कायमी मुकदमा नम्बर पर्चा से सूचित करें। स्पैशल रिपोर्ट बजरिया स्पैशल मसेंजर के अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रट साहब के भिजवाई जावे। हस्ता : हिन्दी जगदीश चन्द निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव 05/05/14. अज सै0 15 पार्ट–1 कार्यालय एस.वी.बी/गुडगांव एट 2.50 पी.एम. अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। एफ.आई.आर की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जाएगी। एक पर्त एफ.आई.आर बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रट साहब गुडगांव बदस्त स्पैशल मैसेंजर आरिन्दा एच.सि दिनेश कुमार न0 1914/फरीदाबाद भेजी जा रही है। आमदा तहरीर मय मिशल मुकदमा मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा एच.सि के हवाले की गई।

हस्ता अग्रेंजी/– जगत सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगत सिंह,
पद : निरीक्षक
सख्यां : 15/एच.ए.पी
दिनांक 05.05.2014 समय 5.00 पी.एम

श्रीमान जी,

नकल मुताबिक असल है।